रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-272

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 1975/चैत्र 10, 1897

No. 122] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1975/CHAITRA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st *March* 1975

S.O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 683E dated the 30th November, 1974, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to an employee or a class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said amounts from the employer, the provided fund accumulations, that is to say, the contributions, interest and sundry receipts as reduced by any obligatory outgoings, in accordance with the following pattern, namely:—

(i) Central Government securities	45%
(ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities.	25%
(iii) Post Office Time Deposits and Small Savings	30%

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1975 to 30th April, 1975.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or re-investment of accumulations in accordance with the aforesaid directions and shall have it approved by the Regional Provident Fund Commissioner concerned.

[No. G.27035(3)/74-PF.I/1]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1975

का० आ० 162(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 683 अ, दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन से सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, पैरा 27-क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक भविष्य निधि के मासिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक् रूप से गठित न्यासी बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन; के भीतर अन्तरित कर देगा और उक्त न्यासी-बोर्ड भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायों, ब्याज और विविध प्राप्तियों को, बाध्यकर निर्गमों को कम कर के, निम्नलिखित नमूने के अनुसार हर मास, नियोजक से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(1)	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में	45%
(2)	राज्य सरकार प्रतिभूतियों में और राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा गारन्टी में प्रतिभूतियों ।	25%
(3)	डाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में . . .	30%

उपर्युक्त नमूना प्रथम अप्रैल, 1975 से 30 अप्रैल, 1975 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में) भी ऊपर पैरा-1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जायेंगे ।

3. न्यासी-बोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा और उसे संबंधित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदित कराएगा ।

[सं० जी० 27035(3)/74-पी०एफ० 1/1]

S.O. 163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 684E dated **the** 30th November, 1974, the Central Government hereby directs that

accumulations out of the provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

(i) Central Government securities.	45%
(ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities.	25%
(iii) Post Office Time Deposits and Small Savings.	30%

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1975 to 30th April, 1975.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. G.27035(3)/74-PF.I/II]

C. R. NAIR, Dy. Secy.

का० आ० 163 अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा 52 के उप-परा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 684-अ, दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों, को बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने के अनुसार विनिहित किया जायेगा, अर्थात् :—

(1) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में	45%
(2) राज्य सरकार प्रतिभूतियों में और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियों में ।	25%
(3) डाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में . .	30%

उपर्युक्त नमूना प्रथम अप्रैल, 1975 से 30 अप्रैल, 1975 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों सभी के पुनर्विधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वार सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में) भी ऊपर पैरा-1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जायेंगे ।

[सं जी 27035(3)/74-पी०एफ० 1/2]

सी० आर० नायर, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975